सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं:. NCST/DEV-3313/JH/142/2024-RO-RNC-RU-IV

दिनांक : 06.11.2025

सेवा मे,

1 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,**
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,
रांची, झारखंड 834029
Email Id: cmd.ccl.cil@coalindia.in

2 **उपायुक्त,**
जिला - राँची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

3 **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,**
जिला - राँची
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: अभ्यावेदकगण श्री सोनू गंझू, ग्राम-विश्रामपुर पो. एवं थाना - खलारी, जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन "विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के रैयती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद- बिक्री के संबंध में" ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट /की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण कुमार सिंह 6.11.25
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सोनू गंझू,
ग्राम - विश्रामपुर ,
पो० एवं - थानाखलारी,
जिला -राँची
झारखंड -829205,
Mobile No:8051084804

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-3313/JH/142/2024-RO-RNC

श्री सोनू गंझू, ग्राम-विश्रामपुर पो. एवं थाना - खलारी, जिला - राँची (झारखण्ड) - विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के रैयती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद- बिक्री के संबंध में दिनांक 09.10.2025 को अपराह्न 04:50 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 09.10.2025 को अपराह्न 04:50 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार

अभ्यावेदक श्री सोनू गंझू, ग्राम-विश्रामपुर, थाना-खलारी, जिला-राँची (झारखंड) ने आयोग को शिकायत की है कि उनके परदादा स्व. श्री लिटुवा भोगता और पिता स्व. श्री भीखु भोगता के नाम से मौजा-विश्रामपुर, खाता सं. 36 एवं 37 की कुल 22.35 एकड़ जमीन (विभिन्न प्लॉट) सीसीएल द्वारा सन् 2013 में अधिग्रहित की गई थी, जबकि इससे पूर्व 1980 एवं 1992 में भी अधिग्रहण हुआ था, लेकिन परिवार को न तो नौकरी मिली और न मुआवजा। अभ्यावेदक ने बताया कि भूमि पर पूर्व में भूमिगत खदान होने के कारण भू-धंसान और जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, और अधिग्रहण के बाद कुछ बाहरी व्यक्तियों ने अंचलाधिकारी खलारी की मिलीभगत से फर्जी खरीद-बिक्री कर मुआवजा और नौकरी के लिए आवेदन किया। अभ्यावेदक ने स्पष्ट किया कि उनके परिवार ने कभी भी जमीन नहीं बेची। उन्होंने आयोग से प्रकरण की जांच और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

2. आयोग ने नोटिस दिनांक 28.11.2024 जारी कर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीएल, रांची, उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - रांची (झारखंड) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

3. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में, दिनांक 27.01.2025 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से प्राप्त उत्तर (म.प्र. (का. एवं औ.) सं./एससी-एसटी-सेल/सोनू/2024/1232(H)) जानकारी हेतु अभ्यावेदक को अग्रेषित किया गया। इसी संदर्भ में, वरीय पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्रांक 1099/जि. शि., दिनांक 14.04.2025 भी अभ्यावेदक को जानकारी के लिए अग्रेषित किया गया।

4. अभ्यावेदक ने दिनांक 02.05.2025 को प्राप्त उत्तर के संबंध में रेज़ोइंडर के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की।
5. मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध पर आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ सुनवाई निर्धारित की गई और तदनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीएल, रांची, उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - रांची (झारखंड) को समन जारी किए गए।अभ्यावेदक को भी इसकी जानकारी दी गई ।
6. सुनवाई के दौरान **उपायुक्त** एवं **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**, जिला–राँची अनुपस्थित रहे। **सीसीएल, राँची** की ओर से निदेशक (संचालन), महाप्रबंधक (जनशक्ति एवं औद्योगिक संबंध), महाप्रबंधक (आवास एवं रखरखाव, नोडल अधिकारी–भूमि) तथा मुख्य प्रबंधक (विपणन) भूमि और राजस्व उपस्थित हुए।
7. दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित **अनुशंसाएँ** की जाती हैं :

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

i. सीओ, खलारी एवं एसपी, राँची प्रकरण का परीक्षण कर भूमि स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करें तथा आवश्यक अभिलेख सीसीएल को उपलब्ध कराएँ, जिससे अभ्यावेदक को उचित मुआवज़ा एवम् नौकरी दी जाने की प्रक्रिया शुरु की जा सके ।

ii. इस मामले में 30 दिनों के भीतर की गई अग्रिम कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
31/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3313/JH/142/2024-RO-RNC-RU-IV

Sitting to be held on **09.10.2025 at 04:50 P.M**- अभ्यावेदकगण **श्री सोनू गंझू,** ग्राम-विश्रामपुर पो. एवं थाना - खलारी, जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन " विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के रैयती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद- बिक्री के संबंध में" ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Chairman and Managing Director, CCL, Ranchi**		
1.	C. S. Tiwari	DT(op), CCL	[signature]
2.	Anita Gupta	GM (MPS&R)	[signature]
3.	S. K. Jha	GM (HR), Nodal officer. land	[signature]
4	Navnit Jha	[illegible] CCL Ranchi	[signature]
III	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi**		
1.			
2.			
3			
4.			
IV	**Officers from O/o Sr. Superintendent of Police, Ranchi**		
1.			
2.			
3.			
4.			
VI	**Petitioners**		
1.	Sonu Ganjhu		[signature]
2.			
3.			